

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2079/71-1-14-जी-66/2014
लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरुद्ध प्रवक्ता, डेन्टेस्ट्री विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-171(ii)/07/सेवा-8/2012-13, दिनांक 09.05.2014 एवं पत्र संख्या-171(i)/07/सेवा-8/2012-13, दिनांक 11.04.2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 03 अभ्यर्थियों को वेतन बैंड रु0 15600-39100, ग्रेड पे रु0 5400/- में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
- (5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण-पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।



3- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

सुभाष चन्द्र राय
विशेष सचिव

संख्या- 2079 (1)/71-1-14, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- ✓ 2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कालेज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1843
20(MIS)/CAO

11-7-14

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या:एम0ई0-2/2014/1074-75

लखनऊ दिनॉक 11 जुलाई, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़, जालौन तथा सहारनपुर।
2. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2079/71-1-14-जी-66/2014
दिनांक 10 जुलाई, 2014 का संलग्नक

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम, जहाँ तैनाती की गयी है
1.	आशीष कुमार यादव	द्वारा श्री यशोदा नन्द यादव, 90-ए, बजरंग नगर कालोनी, नाथमलपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उ०प्र० पिन-273015	मेडिकल कालेज, आजमगढ़
2.	विनय कुमार	बी-25, साउथ अजीत नगर, खेरिया मोड़, आगरा, उ०प्र०	मेडिकल कालेज, सहारनपुर
3.	अरुणेश कुमार तिवारी	मोहल्ला- पार्वतीनगर, पोस्ट-शिवपुरी न्यू कालोनी, जिला-गोरखपुर, पिन-273	मेडिकल कालेज, जालौन


(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव